

28/3/2021 पत्रा० पेश हुई। प्राची वकील अनु।  
द्वारा अदम लजरी अफम पैरवी  
में खारिज किया जा चुका है। अब  
प्रा० पत्र 212 RTI का जोर मद्दत नहीं  
रह पाता है। अतः प्रा० पत्र 212 RTI  
अदम लजरी अफम पैरवी में खारिज किया  
जाता है।

पत्रावली कुलल सुमार होकर मन्व  
के अम ही जाकर वाखिल कन्वर् हो



मिनिस्टर ऑफ़ इंफ़ॉर्मेशन पब्लिसिटी  
गवर्नमेंट ऑफ़ इंडिया  
नया दिल्ली

पत्रावली कुलल सुमार होकर मन्व  
के अम ही जाकर वाखिल कन्वर् हो

28/3/2021

